डिस्कलेमर

अंतरिम आदेश संख्या 06/2022-23 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/डब्ल्यूएफएसबीपीएल/सी/बैंगलुरू/सीपी-III/2023-28/

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

आदेश संख्या 06/2023-24/

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110003

जारी करने की तारीख: 19.05.2023

सेवा	:	**कार्गो हैंडलिंग सेवाएं**
सेवा प्रदाता	:	**डब्ल्यूएफएस (बैंगलुरू) प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यू.एफ.एस.बी.पी.एल)**
हवाईअड्डा	:	**कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (केआईए), बैंगलुरू**
हवाईअड्डा प्रचालक	:	**बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल)**

विषय : मैसर्स डब्ल्यूएफएस (बैंगलुरू) प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यूएफएसबीपीएल) द्वारा कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (केआईए), बैंगलुरू में प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख ("सीओडी") अर्थात 24.05.2023 से 30.09.2023 तक के लिए तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के मामले में।

स्वतंत्र सेवा प्रदाता (आईएसपी) की प्रस्तुति

1. डब्ल्यूएफएस ग्लोबल एसएएस, कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (केआईए), बैंगलुरू में अंतरराष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल का प्रचालन करने के लिए हवाईअड्डा प्रचालक अर्थात बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) द्वारा चुने गए सफल बोलीदाताओं में से एक है। बीआईएएल और डब्ल्यूएफएस ग्लोबल एसएएस (सफल बोलीदाता) के बीच 03 जून, 2022 को संयुक्त उद्यम करार किया गया था। तत्पश्चात ऊपर उल्लिखित संयुक्त उद्यम करार में निर्धारित शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार कार्गो टर्मिनल 2 और कोल्ड चेन फैसिलिटी, केआईए, बैंगलुरू में अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डब्ल्यूएफएस (बैंगलुरू) प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यूएफएसबीपीएल) नामक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) बनाई गई थी। जेवीसी (डब्ल्यूएफएसबीपीएल) को भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 25.07.2022 को निगमित कर दिया गया है।

2. बाद में, 16 दिसम्बर, 2022 को बायल, डब्लयूएफएस ग्लोबल एसएएस और डब्ल्यूएफएसबीपीएल (जेवीसी) के बीच अलग सेवा प्रदाता राइट होल्डर करार ("एसपीआरएचए") (त्रिपक्षीय करार) किया गया है। एसपीआरएचए के अनुसार डब्ल्यूएफएसबीपीएल को कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रदान की गई रियायत मौजूदा कार्गो टर्मिनल-2 को सौंपने की तारीख से पंद्रह (15) वर्ष की अवधि के लिए वैध है, जिसे हवाईअड्डा प्रचालक के विवेकाधिकार से सात (07) वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। एसपीआरएचए के खंड 2 के अनुसार डब्ल्यूएफएसबीपीएल को केआईए, बैंगलुरू में कार्गो टर्मिनल ("सीटी2") और कोल्ड चेन फैसिलिटी ("सीसीएफ") का डिजाइन तैयार करने, निर्माण, वित्त, विकास, सजावट, प्रचालन, प्रबंधन, रखरखाव और हस्तांतरण करने का अधिकार है।

3. मैसर्स डब्ल्यूएफएसबीपीएल ने केआईए, बैंगलुरू में आईएसपी द्वारा प्रदान की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में टैरिफ निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण को 17.02.2023 को वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक की अवधि के लिए बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (अद्यतन) प्रस्तुत किया है।

4. मैसर्स डब्ल्यूएफएसबीपीएल ने दिनांक 15.05.2023 की ई-मेल द्वारा प्राधिकरण से अनुरोध किया कि 24.05.2023 से उनके वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने को ध्यान में रखकर बैंगलुरू हवाईअड्डे पर उनकी प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में वित्त वर्ष 2023-24 (24.05.2023 से) के लिए पदस्थ प्रचालक (अर्थात एआईएसएटीएस, बैंगलुरू) के लिए लागू वर्तमान टैरिफ के आधार पर टैरिफ दरों में 45 % प्रतिशत वृद्धि करते हुए तदर्थ टैरिफ के लिए अनुमोदन प्रदान करें।

मैसर्स डब्ल्यूएफएसबीपीएल के अनुरोध की प्राधिकरण द्वारा जांच

5. प्राधिकरण नोट करता है कि **डब्ल्यूएफएस ग्लोबल एसएएस** को हवाईअड्डा प्रचालक (बायल) द्वारा कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (केआईए), बैंगलुरू में अंतरराष्ट्रीय कार्गो के लिए कोल्ड चेन फैसिलिटी सहित अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए रियायत दी गई है। उपुर्यक्त के अनुसरण में **डब्ल्यूएफएस ग्लोबल एसएएस** और बायल द्वारा **"डब्ल्यूएफएसबीपीएल"** नामक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई गई थी और इसे 25.07.2022 को भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित किया जा चुका है।

6. प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि 16.12.2022 को बायल, **डब्ल्यूएफएस ग्लोबल एसएएस** और **डब्ल्यूएफएसबीपीएल (जेवीसी)** के बीच सेवा प्रदाता राइट होल्डर (एसपीआरएच) करार (त्रिपक्षीय करार) किया गया था। एसपीआरएच करार के अनुसार रियायत की अवधि मौजूदा कार्गो टर्मिनल-2 को सौंपने की तारीख से पंद्रह (15) वर्ष हैं, जिसे बायल के विवेकाधिकार से सात (07) वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

7. **डब्ल्यूएफएसबीपीएल** की हिस्सेदारी संरचना नीचे बताए अनुसार है:

डब्ल्यूएफएसबीपीएल की हिस्सेदारी संरचना का सारांश

हिस्सेदार का नाम	इक्विटी का हिस्सा (%)
डब्ल्यूएफएस ग्लोबल एसएएस	74 %
बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बायल)	26 %
कुल	100%

8. एसपीआरएच करार के खंड 2 के अनुसार **डब्ल्यूएफएसबीपीएल** को बायल द्वारा निर्धारित किए अनुसार कार्गो टर्मिनल ("सीटी2") और कोल्ड चेन फैसिलिटी ("सीसीएफ") की डिजाइन, निर्माण, वित्त, विकास, सजावट, प्रचालन, प्रबंधन, रखरखाव और हस्तांतरण करने के लिए अधिकार सौंपे गए है।

9. प्राधिकरण नोट करता है कि **डब्ल्यूएफएसबीपीएल ने** नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के दिनांक 20 अप्रैल, 2023 के पत्र द्वारा बीसीएएस से सुरक्षा अनुमति प्राप्त कर ली है। बीसीएएस के अनुमोदन के अनुसार "सुरक्षा अनुमति इसे जारी करने की तारीख से पांच (05) वर्ष की अवधि के लिए या हवाईअड्डा प्रचालक के साथ संविदा की वैधता की अवधि, जो भी पहले हो, तक वैध रहेगी।"

10 प्राधिकरण ने आईएएसपी द्वारा केआईए, बैंगलुरू में प्रदान की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में टैरिफ निर्धारित करने के लिए डब्ल्यूएफएसबीपीएल के एमवाईटीपी की अच्छी तरह से जांच करने के बाद और इस मामले के अन्य संगत पहुलओं पर विचार करके दिनांक 24.04.2023 का परामर्श पत्र संख्या 01/2023-24 जारी किया।

11. प्राधिकरण यह नोट करता है कि **डब्ल्यूएफएसबीपीएल** ने अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ संबंधी अपने प्रस्ताव में बैंगलुरु हवाईअड्डे पर पदस्थ कार्गो सेवा प्रदाता अर्थात एआईएएसएटीएस के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मौजूदा टैरिफ दरों में 45% की एक समान वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है।

12. आईएसपी की ओर से पदस्थ कार्गो टर्मिनल प्रचालक के लिए लागू मौजूदा टैरिफ में तदर्थ आधार पर टैरिफ दरों में 45% की वृद्धि के लिए किए गए अनुरोध के संबंध में यह उल्लेख करना सुसंगत होगा कि आईएसपी के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित करने की विनियामक प्रक्रिया चालू है (परामर्श पत्र पहले की जारी किया जा चुका है और हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त हो गई है)। प्राधिकरण हितधारकों की टिप्पणियों और कैपेक्स, ओपेक्स, कार्गो की मात्राओं आदि और अन्य विनियामक बिल्डिंग ब्लाकों सहित मामले के अन्य संगत पहलुओं पर विचार करने के बाद अपने टैरिफ आदेश को अंतिम रूप देगा।

13. इस स्तर पर आईएसपी के लिए तदर्थ टैरिफ के प्रयोजन से प्राधिकरण बैंगलुरू हवाईअड्डे पर स्थित 2 पदस्थ कार्गो टर्मिनल प्रचालकों अर्थात मेनजीस एविएशन बोब्बा (बैंगलुरू) प्राइवेट लिमिटेड और एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसएटीएस) के संबंध में ऐरा द्वारा क्रमश: दिनांक 25 फरवरी, 2019 के आदेश संख्या 41/2018-19 और दिनांक 01 मार्च, 2018 के आदेश संख्या 40/2017-18 द्वारा यथानुमोदित प्रचलित टैरिफ, जिसे ऐरा के समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अंतरिम आधार पर आगे 30.09.2023 तक बढ़ा दिया गया है, के बीच न्यूनतम प्रभार को ध्यान में रखकर **डब्ल्यूएफएसबीपीएल के लिए** केआईए, बैंगलुरू में इसकी प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में 24.05.2023 से तदर्थ टैरिफ को मानने का निर्णय लेता है।

एएफएस कार्गो से संबंधित तदर्थ टैरिफ के प्रयोजन से देश में एएफएस कार्गो की संकल्पना को प्रोत्साहित करने के लिए ऐरा के सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्राधिकरण अंतरिम उपाय के रूप में सामान्य कार्गो हैंडलिंग सेवाओं (एएफएस कार्गो से भिन्न) के लिए माने गए तदर्थ टीएसपी प्रभारों की तुलना में अनुमोदित एएफएस प्रचालक से संबंधित कार्गो के संबंध में 30% न्यूनतर टीएसपी प्रभार का निर्णय लेता है।

14. प्राधिकरण नोट करता है कि टैरिफ आदेश को जारी करने सहित बैंगलुरू हवाईअड्डे पर आईएसपी के लिए कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित करने की विनियामक प्रक्रिया पूर्ण होने में थोड़ा समय लगेगा। इसके अतिरिक्त बैंगलुरू हवाईअड्डे पर 24.05.2023 से स्वतंत्र सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तावित वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने को ध्यान में रखकर प्राधिकरण, अंतरिम उपाय के तौर पर, आईएसपी द्वारा बैंगलुरू हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए 24.05.2023 से 30.09.2023 तक या आईएसपी के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, संलग्नक-I के अनुसार तदर्थ टैरिफ मानने का निर्णय लेता है।

आदेश

प्राधिकरण रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यान पूर्वक विचार करने के उपरांत भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :

(i) मैसर्स **डब्ल्यूएफएस** (बैंगलुरू) प्राइवेट लिमिटेड को कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरू में अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए संलग्नक -1 के अनुसार 24.05.2023 से 30.09.2023 तक या आईएसपी के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए इसकी कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर टैरिफ लगाने और वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) यह आदेश **डब्ल्यूएफएसबीपीएल** द्वारा कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (केआईए), बैंगलुरू में वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने से पूर्व अपेक्षित सभी विनियामक और सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने की शर्त पर प्रभावी होगा।

(iii) इसमें निर्धारित टैरिफ वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(iv) इसमें अनुमोदित टैरिफ दरों में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(v) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(राम कृष्ण)
निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)

सेवा में,

श्री किरण कुमार जेजी,
मुख्य वित्त अधिकारी, (सीएफओ),
मैसर्स डब्ल्यूएफएस (बैंगलुरू) प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यूएफएसबीपीएल),
प्रशासनिक ब्लॉक, कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,
बैंगलुरू, कर्नाटक-560300

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003.
2. श्री हरी मरार, प्रबंध निदेशक, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (बीआईएएल) अल्फा-2, प्रशासनिक ब्लॉक, देवनहल्ली, बैंगलोर -560300